

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 375 / 11

संस्थापन दिनांक:-17 / 11 / 11

फाईलिंग नं. 233504000442011

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

मनोज पिता अर्जुनदास जेठानी, उम्र 32 वर्ष,  
 निवासी ब्लाक नं. 306, चौधरी चौक,  
 जेरी पटका, नागपुर (महाराष्ट्र)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 25.11.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304(ए) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 08.11.2011 को शाम 08:20 बजे एयर फोर्स कैम्प कम्पाउण्ड बोड़खी केन्द्रीय विद्यालय प्राचार्य के निवास और मुख्य गारद कक्ष के बीच मार्ग में थाना आमला जिला बैतूल में वाहन क. एम.एच.-31-सी.एस.-2392 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से संचालित करते हुए मृतिका सुनिता देवी को पीछे से टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी शैलेंद्र सिंह ने दिनांक 09.11.2017 को टाउन इंस्पेक्टर आमला को एक लिखित आवेदन वास्ते प्राथमिक सूचना दर्ज करने हेतु इस आशय का पेश किया कि उसकी मां सुनीता देवी कल शाम को लगभग 08:20 बजे एयर फोर्स कैम्पस से बाहर आ रही थी। जब वो केन्द्रीय विद्यालय प्राचार्य के निवास और मुख्य गारद कक्ष एयर फोर्स के बीच में पहुंची तभी पीछे से मनोज जेठानी जो कि एयर फोर्स स्टेशन में एमईएस में ठेकेदार है, पीछे से तेज गति से अपनी गाड़ी क. एमएच-31-सीएस-2392 को चलाते हुए आया और असावधानी तरीके से गाड़ी चलाते हुए उसकी माताजी को जो कि अपने बांये सड़क छोड़कर कच्चे में चल रही थी, को पीछे से टक्कर मार दी। जिसके बाद वो उसकी माता जी को अपनी गाड़ी में डालकर एयर फोर्स के अस्पताल में ले जाने की बजाये सिविल अस्पताल आमला ले गये और

बाद में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बैतूल ले जाते समय रास्ते में उसकी माताजी का देहांत हो गया।

3 फरियादी द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त मनोज जेठानी के विरुद्ध अपराध क्र. 328/11 अंतर्गत धारा 304-ए भा.दं.सं. पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। अभियुक्त से एक मारोती स्विफ्ट कार क्र. एमएच-31-सीएस-2392 को मय रजिस्ट्रेशन, ड्रायविंग लायसेंस, इंश्योरेंस के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक समय व स्थान पर वाहन क्र. एम.एच.-31-सी.एस.-2392 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से संचालित करते हुए मृतिका सुनिता देवी को पीछे से टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

#### **विचारणीय प्रश्न क्र. 01 एवं 02 का सकारण निष्कर्ष**

6 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7 अमित कुमार यादव (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय उसकी गश्ती में ड्यूटी थी। उसे अचानक से आवाज आयी तो वह मौके पर पहुंचा। मौके पर तीन-चार लोग भी आ गये थे। एक महिला

का एक्सीडेंट हुआ था। वह कच्चे में पड़ी थी। महिला को चोट लगी थी वह बेहोश थी। वीरपाल (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय ड्यूटी पर था। मृतिका सुनिता अपनी दिशा में कच्चे रास्ते पर चल रही थी। सफेद मारुति गाड़ी ने पीछे से उसे टक्कर मारा जिससे वह नीचे कुलाटी खाते हुए चली गयी। सतेंद्र कुमार शर्मा (अ.सा.-7) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह और उसके अन्य साथी रजिस्टर में एन्ट्री कर रहे थे तभी जोर से आवाज आयी तो जाकर देखा तो महिला सुनिता घायल अवस्था में पड़ी थी। सत्येंद्र अग्निहोत्री (अ.सा.-8) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह एयर फोर्स गेट के पास अंदर खड़ा था। अचानक आवाज सुनायी दी। जाकर देखा तो मृतिका सुनिता घायल अवस्था में सड़क के बाजू में खड़ी हुई थी। आशीष कुमार (अ.सा.-9) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय एयर फोर्स गेट के अंदर प्रवेश के लिए एन्ट्री कर रहा था तभी टक्कर की आवाज आयी तो वह मौके पर पहुंचा, पास में ही एक महिला घायल अवस्था में पड़ी थी उसके मुंह से खून बह रहा था। बाद में पता चला था कि उस महिला की मृत्यु हो गयी है। मनुज शर्मा (अ.सा.-10) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह एयर फोर्स मेन गेट के अंदर रजिस्टर में एन्ट्री करने के बाद खड़ा हुआ था। अचानक से आवाज आयी तो मौके पर गया तो देखा कि घायल महिला 5-6 फिट दूर पड़ी हुई है, उसके सिर में चोट लगी हुई है और खून निकल रहा था। बाद में पता चला कि महिला की मृत्यु हो गयी है। शैलेंद्र सिंह (अ.सा.-11) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय अपनी मां को लेने के लिए जा रहा था। उसकी मां मृतिका सुनिता रोड पर अपनी साईड से चलती हुई आ रही थी और पीछे से तेज रफ्तार मारुति ने टक्कर मारी जिससे उसकी मां उछलकर सामने की ओर गिरी। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसकी मां के बांये हाथ और माथे पर चोट थी।

8 डॉ. आनंद मालवीय (अ.सा.-15) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में दिनांक 09.11.2011 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफीसर के पद रहते हुए उक्त दिनांक को मृतिका सुनिता का शव परीक्षण करने पर मृतिका के सिर के बांये हिस्से में एक कटा फटा घाव जो माथे से अग्र मस्तिष्क तक फैला था जिसका आकार 12 गुणा 2 गुणा 0.7 सेमी. था जिसमें से रक्त बह रहा था एवं बांये हाथ पर 4 गुणा 3 सेमी. आकार का एवं दांये पैर पर 3 गुणा 5 सेमी. आकार का घिसड़ा तथा मृतिका के दांये नथुना से रक्त बह रहा था। मृतिका की खोपड़ी पर 5 गुणा 0.2 सेमी. आकार का विच्छेदन जिसमें बांये तरफ की फ्रान्टल हड्डी टूटी थी। मृतिका के पर्दा, पसली, कोमलस्व, फुफाफसा, स्वस्थ एवं पैल थे। कंठ, श्वासनली, दांया फेफड़ा, बांया फेफड़ा, पैरिकाडियम एवं वृहद वाहिका पैल थे। हृदय के दोनों चेम्बर खाली थे। मृतिका के उदर, पर्दा आंतों की झिल्ली, मुंह, ग्रास नली, गृस्नी स्वस्थ एवं पैल थे। पेट एवं छोटी आंत पैल थी जिसमें अधपचा भोजन था। बड़ी आंत पैल थी जिसमें पीकल मेटर था।

मृतिका के सिर की चोट बांये तरफ की फ्रॉन्टल हड्डी अस्थिभंग थी और मस्तिष्क क्षतिग्रस्त था। चोट की अवधि परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी। साक्षी ने अपने अभिमत में प्रकट किया है कि मृतिका की मृत्यु कोमा से हुई थी जिसका कारण वाईटल आर्गन मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त होना अर्थात् हेड इंज्यूरी थी तथा मृत्यु की अवधि शव परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी अमित कुमार यादव (अ.सा.-4), वीरपाल (अ.सा.-5), सतेंद्र कुमार शर्मा (अ.सा.-7), सत्येंद्र अग्निहोत्री (अ.सा.-8), आशीष कुमार (अ.सा.-9), मनुज शर्मा (अ.सा.-10) एवं शैलेंद्र सिंह (अ.सा.-11) के कथनों से आहत सुनिता को दुर्घटना में चोट आने एवं तत्पश्चात उसकी मृत्यु होने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

9 सुरेंद्र वर्मा (अ.सा.-17) ने दिनांक 08.11.2011 को अस्पताल चौकी बैतूल में प्रधान आरक्षक के पद पद पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अस्पताल से सुनितादेवी का एक्सीडेंट होकर मृत अवस्था में अस्पताल लाने बाबत तहरीर क्र. 2215/11 प्राप्त होने पर चौकी पर मर्ग क्र. 0162/11 धारा 174 दं.प्र.सं. में (प्रदर्श पी-13) का मर्ग लेख किया जाना एवं दिनांक 09.11.2011 को मृतिका सुनिता के शव पंचनामा कार्यवाही हेतु सफीना फार्म (प्रदर्श पी-2) जारी किया जाना एवं शव का निरीक्षक कर शव पंचनामा (प्रदर्श पी-5) एवं शव परीक्षण आवेदन फार्म (प्रदर्श पी-11) तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

10 कुवर सिंह (अ.सा.-14) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 09.11.2011 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए प्रार्थी शैलेंद्र सिंह द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 328/11 धारा 304-ए भा.दं.सं. में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) लेखबद्ध किया जाना तथा उक्त दिनांक को ही पुलिस चौकी जिला चिकित्सालय बैतूल से मृतिका सुनिता देवी की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन क्र. 062/11 प्राप्त होने पर असल मर्ग क्र. 63/11 अंतर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. (प्रदर्श पी-10) लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

11 एस.एल. साहू (अ.सा.-18) ने दिनांक 09.11.2011 को पुलिस थाना आमला में पुलिस चौकी बोड़खी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 328/11 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना का नक्शा मौका (प्रदर्श पी-7) एवं घटना स्थल से चुड़ियों के टुकड़े, एक्सीडेंट से टूटे वाहन के पीले रंग के इंडीकेटर के टुकड़े और एक बिना हील वाली चप्पल जप्त कर (प्रदर्श पी-1) का जप्ती पत्र एवं उक्त दिनांक को ही अभियुक्त से मारोती स्विफ्ट क्र. एमएच-31-सीएस-2392 को मय रजिस्ट्रेशन, ड्रायविंग

लायसेंस, इंश्योरेंस के जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-8) तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-9) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

12 राजू (अ.सा.-16) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसकी बोड़खी आमला में राज इंजीनियरिंग वर्क्स शॉप के नाम से वाहन रिपेयरिंग की दुकान है। वह विगत 15-20 वर्षों से वाहन रिपेयरिंग का कार्य कर रहा है और उसे वाहन के परीक्षण का अनुभव है। उसने दिनांक 09.11.2011 को पुलिस थाना आमला के अपराध क्र. 328/11 से संबंधित वाहन क्र. एमएच-31-सीएस-2392 का मैकेनिकल मुलाहिजा किया था। वाहन परीक्षण में वाहन का ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, टाईराइ एण्ड एक्सल एवं हार्न ठीक होना पाया था। वाहन का लेफ्ट लाईट टूटा था एवं बायं साईड का मडघाड दबा हुआ था एवं साईड क्लास टूटा हुआ था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी वाहन मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-12) को प्रमाणित किया है।

13 **प्रकरण में बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** अभियोजन साक्षीगण अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। किसी भी साक्षी ने अभियुक्त मनोज जेठानी के द्वारा घटना के समय वाहन को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाया जाना नहीं बताया है। साथ ही अभियोजन साक्षीगण ने घटना घटित होते देखा जाना भी नहीं बताया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

14 बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में संतोक सिंह (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना एयर फोर्स के अंदर एलएमजी पोस्ट के पीछे की है। वह सिपाही के पद पर घटना दिनांक को पदस्थ था। उसकी ड्यूटी मेन गेट पर थी। उसे आवाज आयी तो उसने देखा कि कोपल शैलेश और अमित कोपल दौड़ते हुए दिखायी दिये। फिर उसने भी देखा तो मौके पर एक कार खड़ी हुई थी जिसका नंबर उसे याद नहीं है। कार से कौन टकराया था यह वह नहीं देख पाया था। मनोज देशमुख (अ.सा.-12) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह वायु सेना बोड़खी में ठेकेदारी का काम करता है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था लेकिन जप्ती पत्रक में उसके हस्ताक्षर हैं परंतु अभियुक्त मनोज को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पत्रक में उसके हस्ताक्षर हैं। दीपक (अ.सा.-13) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्त मनोज जेठानी के अधिनस्थ कांटेक्टर का कार्य करता था। उसके समक्ष न अभियुक्त से कुछ जप्त किया गया था और न ही उसे गिरफ्तार किया गया था। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे

जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी मनोज (अ.सा.-12) एवं दीपक (अ.सा.-13) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी संतोक सिंह (अ.सा.-3) ने अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त मनोज ने उसके समक्ष मारुति कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर महिला को टक्कर मार दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्त दायल महिला को अपनी कार में बैठाकर बाहर ले गया था। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है।

15 युवराज सिंह (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि पुलिस वालों ने उसके समक्ष घटना स्थल से चूड़ी के टुकड़े, चप्पल और इंडीकेटर जप्त किया था। जप्ती पत्रक में उसके हस्ताक्षर हैं। उपर्युक्त सामग्री की जप्ती घटना के दूसरे दिन की गयी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जप्तशुदा चूड़ी, चप्पल और इंडीकेटर किसका था इसकी उसे जानकारी नहीं है। पुलिस वालों ने उसे आफिस से घटना स्थल पर लेकर आये थे। पुलिस ने बताया था कि यहां सामान पड़ा है उसे जप्त कर रहे हैं। स्वतः में साक्षी ने कहा कि हमने भी सामान बीना था। केशवराव धुर्वे (अ.सा.-6) ने बताया है कि पुलिस ने दिनांक 09.02.2011 को एयर फोर्स एरिया गार्ड रूम के सामने से चूड़ी, चप्पल जप्त की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी। पुलिस ने गार्ड रूम पर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए थे। उसे नहीं पता कि चूड़ी किसकी थी, इंडीकेटर किसका था। उसने अधिकारियों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

16 शैलेंद्र सिंह (अ.सा.-11) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना रात्रि 8-8:30 बजे के बीच की एयर फोर्स स्टेशन में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसीपल के घर के सामने की है। साक्षी ने यह बताया है कि उसकी मां मृतिका सुनिता की एयर फोर्स स्टेशन के अंदर कपड़े की दुकान थी। वह अपनी मां को लेने के लिए जा रहा था। जब वह एलएमजी पोस्ट पर पहुंचा तो देखा कि उसकी मां रोड पर अपनी साईड से चलती आ रही थी और पीछे से तेज रफ्तार से मारुति स्विफ्ट गाड़ी ने उसकी मां को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसकी मां उछलकर पोल से टकरायी और घास पर गिर गयी। अभियुक्त मनोज जेठानी मारुति स्विफ्ट को चला रहा था। अभियुक्त कार से बाहर निकला और बाद में जब लोग आना शुरू हुए तो माथा पकड़कर कह रहा था कि ये क्या हो गया। वह हादसा देखकर घबरा गया था। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। तभी वहां पर एयर फोर्स के दो-चार लोग आये और अभियुक्त की गाड़ी में उसकी मम्मी को रखवाया। साक्षी ने आगे यह बताया है कि कोपल शैलेश ने कंधे पर हाथ रखकर उसे कहा कि तुम एयर फोर्स के हास्पिटल में जाओ तैयार

करो हम लोग वार्ड रूम में एन्ट्री करके आ रहे हैं। फिर वह सायकिल से वायु सेना के हास्पिटल में आ गया और 10-15 मिनट तक मां का और गाड़ी का इंतजार किया परंतु वहां पर कोई नहीं आया। फिर वह बोड़खी स्थित किराये वाले अपने घर पर गया तो मकान मालिक की बहू ने बताया कि तुम्हारी मां का एक्सीडेंट हो गया है उसे सिविल हास्पिटल ले गये हैं। तब वह सिविल हास्पिटल आमला गया। जब वह वहां पर पहुंचा तब उसने देखा कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसी गाड़ी की सीट से उसकी मां को उतार रहे थे। वहां पर बबलू चड्डा अंकल और उपाध्याय वकील साहब थे। जब उसने उन लोगों से पूछा कि मेरी मां को यहां पर दिखा दिया तब उन लोगों ने कहा कि यहां पर सुविधा नहीं है तुम्हारी मां को बैतूल ले जाना पड़ेगा। तब उसने कहा कि एम्बुलेंस में आक्सीजन नहीं है। एम्बुलेंस की जगह जननी एक्सप्रेस में ले जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि बैतूल फोन कर दिये हैं रास्ते में आक्सीजन वाली एम्बुलेंस मिल जायेगी। फिर वह और अन्य लोग मां को लेकर बैतूल गये। जिला अस्पताल बैतूल में डॉक्टर ने मां का हाथ पकड़कर बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसने घटना के संबंध में लिखित शिकायत थाना आमला में किया था। उसकी शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी थी।

17 शैलेश (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह एयर फोर्स में कारपोरल के पद पर पदस्थ है। घटना दिनांक को उसकी ड्यूटी मुख्य भारत कक्ष में थी। वह अपनी पोस्ट पर था। लगभग 08:20 बजे एक हलचल सी मची और बहुत से लोग केंद्रीय विद्यालय की ओर दौड़ने लगे। वह भी पीछे दौड़ा और मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दाहिने हाथ पर फुटपाथ पर एक महिला बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी जिसे कोई बाहरी चोट नहीं थी। वहीं पर एक कार तीन-चार मीटर की दूरी पर खड़ी थी जिसका नंबर एमएच-31-सीएस-2392 मारुति स्विफ्ट सिल्वर कलर की थी। उस कार से अभियुक्त मनोज जेठानी को उसने बाहर निकलते देखा था। अभियुक्त वायु सेना में ठेकेदार है इसलिए वह उसे पहले से जानता है। अभियुक्त मनोज जेठाने ने बताया था कि एक्सीडेंट उसी की कार से हो गया है और कार को वह चला रहा था। अभियुक्त मनोज जेठानी ने कार को पीछे की तरफ महिला के पास लाकर लोगों की मदद से उस महिला को कार में लेटा दिया था। मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि जल्दी-जल्दी अस्पताल लेकर जाओ। फिर उसने अभियुक्त से कहा कि गार्ड रूम पर जाकर रुकना परंतु गाड़ी आगे बढ़ी और गेट पर तैनात सिपाही ने गेट खोल दिया और अभियुक्त वहां से कार लेकर चला गया। गार्ड रूम में नहीं रुका। उसने अभियुक्त से फोन पर पूछा तो अभियुक्त ने बताया कि वह महिला को सीएचसी आमला लेकर आया है उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है और उस महिला का छोटा बेटा उनके पास आ गया है। रात्रि लगभग 10 बजे जिला चिकित्सालय बैतूल से सूचना प्राप्त हुई कि

घायल महिला की मृत्यु हो गयी है।

18 अमित कुमार यादव (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना एयर फोर्स की केंद्रीय विद्यालय प्रिंसीपल के निवास के पास की है। उसे अचानक से आवाज आयी तो वह आवाज की तरफ दौड़कर गया। उसने देखा कि एक सफेद कलर की स्विफ्ट कार जिसका नंबर एमएच-31-सीएस-2392 था, उसकी ड्रायवर सीट से अभियुक्त मनोज जेठानी गाड़ी से उतरा। तभी वहां पर तीन-चार लोग और आ गये। महिला का एक्सीडेंट हुआ था। वह कच्चे में पड़ी थी। महिला को चोट लगी थी, वह बेहोश थी। फिर सभी लोगों ने मिलकर उसे कार की पीछली सीट पर लेटाया। अभियुक्त मनोज जेठानी ने कहा कि महिला को वायु सेना अस्पताल लेकर जाये। फिर अभियुक्त गाड़ी को चलाते हुए गेट की तरफ ले गया। गेट खुला पाकर कार सहित गेट से बाहर चला गया। अभियुक्त महिला को वायु सेना अस्पताल नहीं ले गया था। रात्रि 10 बजे पता चला था कि महिला की मृत्यु हो गयी है। बाद में यह पता चला था कि महिला का नाम सुनिता था और वह कैंटीन के पास कपड़े की दुकान चलाती थी।

19 वीरपाल (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय वह एयर फोर्स स्टेशन में ड्यूटी पर था। मृतिका सुनीता पीछे से आ रही थी। वह कच्चे रास्ते में दो से ढाई फिट नीचे चल रही थी। उस महिला के पीछे से सफेद रंग की मारुति गाड़ी जिसका लाईट जल रहा था बहुत स्पीड में थी और पीछे से गाड़ी ने महिला को टक्कर मार दिया। टक्कर लगते ही महिला 4-5 फिट नीचे कुलाटी मारते हुए चली गयी। पहचान के प्रश्न में साक्षी का शेष मुख्य परीक्षण कराये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त मनोज ही वाहन को चला रहा था। बहुत स्पीड में चला रहा था। ड्यूटी वाले स्थान से उसने देखा था। अभियुक्त महिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गया था।

20 सतेंद्र कुमार (अ.सा.-7) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय वायु स्टेशन के अंदर रजिस्टर में एन्ट्री कर रहा था। तभी तेज आवाज सुनायी दी। वह दौड़कर मौके पर पहुंचा। मौके पर सुनिता देवी जमीन पर पड़ी हुई थी और सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी के ड्रायवर सीट से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आया। पहचान के प्रश्न पर साक्षी का शेष मुख्य परीक्षण किये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त मनोज ही गाड़ी की ड्रायवर सीट से निकल रहा था और गाड़ी के पास में ही महिला घायल अवस्था में पड़ी थी जिसे उपस्थित लोगों ने गाड़ी की पिछली सीट में रख दिया था। सत्येंद्र अग्निहोत्री (अ.सा.-8), आशीष कुमार (अ.सा.-9) एवं मनुज शर्मा (अ.सा.-10) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह एयर फोर्स गेट के अंदर आकर रजिस्टर में एन्ट्री कर रहे थे। तभी अचानक से टक्कर



होने की आवाज सुनायी दी। वे मौके पर पहुंचे। मृतिका सुनिता सड़क के बाजू में घायल अवस्था में पड़ी थी और पास ही सिल्वर कलर की गाड़ी खड़ी थी। अभियुक्त को उन्होंने कार से उतरकर देखा था। महिला को कार की पीछे की सीट पर लेटा दिया था। इसके बाद वे अपने कमरे में चले गये थे। सत्येंद्र अग्निहोत्री (अ.सा.-8) एवं मनुज शर्मा (अ.सा.-10) ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि एयरफोर्स पुलिस ने अभियुक्त से कहा था कि कार का गार्ड रूम में लेकर चलो इसके बाद गाड़ी वहां से चली गयी।

21 **अमित कुमार यादव (अ.सा.-4)** प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को शाम 07:30 से लेकर सुबह के 07:30 तक उसकी ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान उसका कार्य आमला स्टेशन परिसर में गश्त करने का होता है। गश्त की ड्यूटी में वह अकेला था। घटना के समय वह मुख्य कारक कक्ष में था। साक्षी से प्रश्न पूछे जाने पर कि अभियुक्त मनोज जेठानी एयर फोर्स गेट के अंदर कितने बजे गया तो साक्षी ने यह बताया कि अभियुक्त मनोज जेठानी 8 बजे गेट के अंदर गया था। उस समय उसके साथ ड्यूटी पर तैनात शैलेश ने चौक किया था। जिज्ञासा वश उसने शैलेश से पूछा था कि कार में कौन है तब उसने बताया था कि ठेकेदार मनोज जेठानी है। वह मौके पर आवाज सुनकर 5 से 10 सेकंड में पहुंच गया था। स्वतः में बताया है कि उसे दौड़ने की ट्रेनिंग मिली है इसलिए वह 10 सेकंड में पहुंच सकता है। जब वह मौके पर पहुंचा तो एक महिला घायल अवस्था में थी और बहुत सारे लोग खड़े थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी। स्वतः में साक्षी ने कहा कि उसका मुंह दूसरी तरफ था जैसे ही आवाज आयी तो उसने तुरंत मुड़कर देखा था।

22 **सतेंद्र कुमार (अ.सा.-7)** ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जैसे ही वह मुख्य गार्ड कक्ष में प्रवेश किया तब उसने मारुति कार और महिला को नहीं देखा था। जब वह रजिस्टर में एन्ट्री कर रहा था। उस समय तक उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि जहां पर वह खड़ा था वहां से घटना स्थल 50 मीटर की दूरी पर था। स्वतः कहा कि 50 फिट की दूरी पर था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो महिला रोड से 5 से 7 कदम की दूरी पर पड़ी थी। स्वतः कहा कि रोड से 2-3 कदम की दूरी पर पड़ी थी। **साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में इस सुझाव को सही बताया है कि कार से टक्कर होते उसने नहीं देखी थी। अभियुक्त को कार चलाते हुए भी नहीं देखा था।** प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 08 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को यह बता दिया था कि वह दुर्घटना होने के बाद मौके पर पहुंचा था। घायल महिला को गाड़ी में रखा था।

23 **सत्येंद्र अग्निहोत्री (अ.सा.-8)** ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि जिस समय वह एयर फोर्स स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहा था उस समय अभियुक्त मनोज जेठानी को कार सहित या किसी महिला को नहीं देखा था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि जब रजिस्टर में एन्ट्री कर रहे होते हैं उस समय घटना स्थल दिखायी नहीं देता है। साक्षी ने यह पूछे जाने पर कि आपने अभियुक्त को ड्रायविंग सीट पर बैठे नहीं देखा था तो साक्षी ने उत्तर में बताया है कि उसने बैठे हुए नहीं देखा था। स्वतः कहा कि गेट खोलकर उतरते हुए देखा था। घायल महिला रोड से 5-7 कदम दूरी पर पड़ी हुई थी। साक्षी से यह प्रश्न पूछे जाने पर कि जब आप मौके पर इकट्ठा हुए तब वहां पर एक्सीडेंट के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया तो साक्षी ने उत्तर दिया कि वहां पर कोई था ही नहीं। मौके पर अभियुक्त जेठानी था, हम थे और हमारे साथी थे।

24 **आशीष कुमार (अ.सा.-9)** ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने दुर्घटना होते नहीं देखी थी। अभियुक्त को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा था। स्वतः कहा कि ड्रायविंग सीट से उतरते हुए देखा था। जब वह एयर फोर्स गेट में एन्ट्री कर रहा था तब अभियुक्त मनोज कार लाते हुए दिखायी नहीं दिया और न ही कोई महिला दिखायी दी। इस सुझाव को भी सही बताया है कि कार के ड्रायविंग सीट पर अभियुक्त को बैठा हुआ नहीं देखा था। उसने अभियुक्त की गाड़ी में घायल महिला को चिकित्सा हेतु लेटाया था। मनुज शर्मा (अ.सा.-10) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना होते उसने नहीं देखा था। दुर्घटना होने के बाद मौके पर पहुंचा था। अभियुक्त मनोज को कार चलाते नहीं देखा था। स्वतः कहा कि उतरते हुए देखा था। मनुज शर्मा (अ.सा.-10) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना होते उसने नहीं देखी थी। दुर्घटना के बाद वह मौके पर पहुंचा था। अभियुक्त मनोज को कार चलाते नहीं देखा था। स्वतः कहा उतरते हुए देखा था।

25 प्रकरण में अमित कुमार यादव (अ.सा.-4), सतेंद्र कुमार (अ.सा.-7), सत्येंद्र अग्निहोत्री (अ.सा.-8), आशीष कुमार (अ.सा.-9), मनुज शर्मा (अ.सा.-10) ने अपने न्यायालयीन कथनों में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उन्होंने घटना होते नहीं देखी थी परंतु उपर्युक्त साक्षीगण ने यह बताया है कि जब वे मौके पर पहुंच तब अभियुक्त मनोज को गाड़ी से बाहर निकलते देखा था। **इस प्रकार उपर्युक्त साक्षियों के कथनों से यह तो अवश्य स्थापित होता है कि घटना के समय अभियुक्त मनोज वाहन मारुति में मौके पर उपस्थित था।**

26 घटना होते देखे जाने के संबंध में महत्वपूर्ण साक्षी शैलेश (अ.सा.-2), वीरपाल (अ.सा.-5), शैलेंद्र सिंह (अ.सा.-11) की साक्ष्य उपलब्ध है। शैलेश (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आवाज सुनकर वह मौके

पर गया था और उसने देखा कि एक महिला घायल पड़ी है और अभियुक्त मनोज जेठानी को मारुति स्विफ्ट से बाहर निकलते देखा था। मुख्य परीक्षण की कंडिका क्र. 03 में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त मनोज ने उसे यह बताया था कि एक्सीडेंट उसकी कार से हो गया है और कार अभियुक्त मनोज ही चला रहा था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका क्र. 08 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने मृतिका को अभियुक्त मनोज की कार से टक्कर होते नहीं देखा था। साक्षी से बचाव अधिवक्ता द्वारा यह पूछे जाने पर कि घटना स्थल पर किसी भी व्यक्ति ने दुर्घटना के संबंध में उसे कुछ नहीं बताया था उत्तर में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त मनोज जेठानी ने बताया था कि दुर्घटना उसकी गाड़ी से हुई है। इस प्रकार साक्षी अपने इस कथन पर पूर्णतः अखंडित रहा है कि अभियुक्त मनोज की गाड़ी से ही दुर्घटना हुई है और उसे उक्त बात अभियुक्त मनोज ने ही बतायी थी। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जाये कि साक्षी अभियुक्त के विरुद्ध झूठे कथन कर रहा है। न ही ऐसा प्रकट हो रहा है कि इस साक्षी की अभियुक्त से कोई रंजिश हो। यद्यपि साक्षी ने घटना घटित होते नहीं देखी है परंतु साक्षी अपने इस कथन पर अखंडित है कि अभियुक्त ने उसे यह बताया था कि उसकी गाड़ी से दुर्घटना हो गयी है।

27 वीरपाल (अ.सा.-5) यह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी है, इस साक्षी के संबंध में बचाव अधिवक्ता ने यह तर्क लिया कि साक्षी ने घटना होते ना देखा जाना बताया है, जबकि अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क लिया कि साक्षी ने अपने कथनों में संपूर्ण घटना बताई है, यद्यपि साक्षी प्रति परीक्षण के अंतिम स्तर पर घटना की जानकारी ना होना का कथन किया है, मात्र साक्षी के इस कथन से ही उसकी पूर्ण साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। साथ ही तर्क के समर्थन में अभियोजन अधिकारी ने न्यायदृष्टांत **धर्मेंद्र सिंह विरुद्ध गुजरात राज्य(2002)4, एससीसी 679** प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :- "Appreciation of evidence-Concept of falsus in uno falsus in omnibus not applicable in cr. Case embellishments in evidence-effect-court is required to scrutinize the matter more closely and cerfully.

28 उभयपक्ष के तर्कों एवं उपर्युक्त न्यायदृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में साक्षी वीरपाल (अ.सा.-5) की साक्ष्य को सूक्ष्म विवेचन अत्यंत आवश्यक है। साक्षी वीरपाल ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह घटना के समय ड्यूटी में था। घटना के समय मृतिका अपनी दिशा से कच्चे में चल रही थी। मृतिका रोड से दो-ढाई फिट नीचे चल रही थी। उसने देखा कि महिला के पीछे से सफेद रंग की मारुति गाड़ी जिसका लाईट जल रहा था, काफी स्पीड में थी और पीछे से उस महिला को टक्कर मार दिया था। टक्कर लगते ही महिला रोड से 4-5 फिट नीचे कुलाटी खाते चले गयी। साक्षी ने न्यायालय में अभियुक्त के उपस्थित होने पर यह बताया

है कि घटना के समय अभियुक्त ही वाहन को चला रहा था और स्पीड में वाहन को चला रहा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में बचाव अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को बता दिया था कि मृतिका पीछे से आ रही थी, अपनी दिशा से कच्चे से चल रही थी। रोड से दो-ढाई फिट नीचे चल रही थी। पीछे से सफेद रंग की मारुति गाड़ी काफी स्पीड में थी, पीछे से उस महिला को टक्कर मार दिया। टक्कर लगने से महिला रोड से कुलाटी मारकर चली गयी। इसी पैरा में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय उसने गाड़ी चालक को नहीं देखा था। स्वतः में कहा कि एलएमजी पर जब गाड़ी लेकर चालक गया था तब उसने गाड़ी चालक को देखा था। टक्कर होने के पहले मृतिका एवं अभियुक्त को नहीं देखा था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि घटना की चिल्ला चोट होने के बाद भी वह घटना स्थल पर नहीं गया क्योंकि वह एलएमजी पर तैनात था।

29 प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में साक्षी वीरपाल (अ.सा.-5) ने यह भी बताया है कि जब पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तो उसने पुलिस को यह बताया था कि उसके चेक पोस्ट के सामने से घायल महिला को ले जा रहे थे, यह मालूम इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। वह एलएमजी पोस्ट नहीं छोड़ सकता था इसलिए मौके पर नहीं गया था। उपर्युक्त साक्षी वीरपाल ने मुख्य परीक्षण में घटना होते देखा जाना बताया है। साक्षी ने अभियुक्त की पहचान भी सुनिश्चित की है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी अपने मुख्य परीक्षण के कथनों पर पूर्णतः अखंडित रहा। यद्यपि तत्पश्चात साक्षी ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसने पुलिस को केवल यह जानकारी दी थी कि उसके चेक पोस्ट के सामने से घायल महिला को ले जा रहे थे। उसकी एलएमजी पर ड्यूटी थी इसलिए वह मौके पर नहीं गया था। उपर्युक्त साक्षी की साक्ष्य के संबंध में बचाव अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि साक्षी ने घटना न होते देखा जाना बताया है और वह अपनी पोस्ट से मौके पर गया ही नहीं था परंतु न्यायालय में साक्षी अपने मुख्य परीक्षण के कथनों पर पूर्णतः अखंडित रहा है। **मुख्य परीक्षण की कंडिका क. 02 में ही साक्षी ने यह बताया है कि उसने अपनी ड्यूटी के स्थान से महिला को देखा था।** ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि साक्षी अपनी पोस्ट को छोड़कर मौके पर नहीं गया था। मात्र साक्षी के द्वारा केवल एक यह कथन कर देने से कि उसने केवल पुलिस को ये बताया था कि उसके चेक पोस्ट के सामने से महिला को ले गये थे, इसके अलावा उसे कुछ नहीं मालूम, वह मौके पर नहीं गया था। ऐसी परिस्थितियों में साक्षी की संपूर्ण साक्ष्य को परित्यक्त नहीं किया जा सकता और न ही उसके संपूर्ण कथनों को अविश्वसनीय माना जा सकता है।

30 **शैलेंद्र सिंह (अ.सा.-11)** यह भी महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी है। इस साक्षी के संबंध में बचाव के द्वारा यह तर्क लिया गया है कि यह साक्षी मौके पर उपस्थित नहीं था और उसने घटना घटित होते नहीं देखी। साक्षी स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी बता रहा है। स्वयं साक्षी ने यह बताया है कि उसने लिखित शिकायत थाने में नहीं की थी। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह सही है कि अन्य अभियोजन साक्षी जो कि एयर फोर्स के कर्मचारी हैं, जो कि मौके पर उपस्थित थे, उन्होंने यह नहीं बताया है कि घटना के समय महिला का पुत्र या उसका कोई परिजन मौके पर उपस्थित था। सभी साक्षीगण ने यह बताया है कि घटना के समय तक महिला की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पायी थी परंतु साक्षी शैलेंद्र सिंह (अ.सा.-11) ने अपने कथनों में एयर फोर्स के अंदर एलएमजी पोस्ट पर होना और वहां से घटना देखा जाना बताया है। इस बात के स्पष्टीकरण के रूप में साक्षी ने अपने कथनों में यह बताया है कि हादसा देखकर उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। उसे मौके पर उपस्थित अधिकारी कोपल शैलेश ने यह कहा था कि तुम एयर फोर्स के हास्पिटल जाओ इसलिए वह एयर फोर्स के हास्पिटल चला गया था। यद्यपि साक्षी शैलेश (अ.सा.-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मौके पर महिला का पुत्र शैलेंद्र उपस्थित नहीं था और न ही कोई परिजन उपस्थित था परंतु स्वयं साक्षी शैलेंद्र ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उसने मौके पर उपस्थित एयर फोर्स के कर्मचारियों को यह बताया हो कि घायल महिला उसकी मां है। साथ ही साक्षी शैलेश (अ.सा.-2) के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि वह पूर्व से मृतक महिला, उसके पुत्र या उसके किसी परिजन को पहचानता हो। तब ऐसी स्थिति में मात्र साक्षी शैलेश (अ.सा.-2) के कथनों से निश्चायक रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि शैलेंद्र सिंह मौके पर उपस्थित नहीं था।

31 साक्षी शैलेंद्र सिंह (अ.सा.-11) ने पुनः से अपनी मौके पर उपस्थिति के संबंध में प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 10 में बचाव अधिवक्ता के द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि एयर फोर्स अस्पताल से लौटने के बाद आपकी मां को घटना स्थल से कहां ले गये हैं, आपको कैसे पता चला तब साक्षी ने उत्तर में यह बताया है कि अस्पताल से लौटकर गार्ड रूम वालों से पूछा था तब उन्होंने कहा था कि हमें जानकारी नहीं है, तब वह एयर फोर्स स्टेशन से बोड़खी शर्मा मार्केट अपने घर आ गया। तब मकान मालिक की बहू ने बताया कि तुम्हारी मां को सिविल अस्पताल आमला ले गये हैं जबकि पहले से उसे घटना की जानकारी थी। यद्यपि साक्षी शैलेंद्र सिंह (अ.सा.-11) ने अपने न्यायालयीन कथनों में नवीन तथ्यों का समावेश किया है तथा साक्षी के कथनों में कुछ विरोधाभास भी आये हैं परंतु वह विरोधाभास तात्त्विक न होकर सामान्य हैं। मात्र साक्षी के कथनों में आये अल्प विरोधाभास से ही उसकी संपूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। शैलेंद्र सिंह (अ.सा.-11) ने तेज रफ्तार से मारुति स्विफ्ट गाड़ी को चलाकर

उसकी मां को टक्कर मारना बताया है। अपने इस कथन पर साक्षी अखंडित रहा है।

32 प्रकरण में बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी के रूप में स्वयं अभियुक्त मनोज जेठानी (ब.सा.-1) को परीक्षित कराया गया है। साथ ही एक अन्य साक्षी लिखीराम साहू (अ.सा.-2) को परीक्षित कराया गया है। मनोज जेठानी (ब.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह दिनांक 08.11.2011 को मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार से कृष्ण मंदिर की ओर से एयर फोर्स स्टेशन के बाहर जा रहा था। केंद्रीय विद्यालय के पास, कृष्ण मंदिर के घुमाव के कारण उसका वाहन ब्रेकअर आने से धीमी गति से चल रहा था। वह वाहन को धीमी गति से ही चला रहा था। अपनी साईड से हार्न बजाते हुए गाड़ी चला रहा था। जैसे ही वह गाड़ी से गुजर रहा था तो एक महिला चक्कर खाकर रोड पर गिर गयी। मौके पर कोई नहीं था, इसलिए वह मदद के लिए रुक गया। कुछ लोग वहां से आ जा रहे थे उन्हें मदद के लिए बुलाया और घायल महिला को ईलाज के लिए अपनी गाड़ी में बैठाया। जिन्हें सहायता के लिए बुलाया था वे एयर फोर्स के कर्मचारी थी। महिला की पहचान न हो पाने के कारण उपस्थित लोगों ने कहा कि इस सिविल अस्पताल ले जाओ। बाहर जाने के बाद उसकी कार के पास भीड़ लग गयी और भीम में से किसी ने बताया कि आहत महिला एयर फोर्स में दुकान चलाती है। तब उसने अपने मित्र बबलू चड्डा से फोन करके उसके परिवार के सदस्य को बुलाने के लिए कहा परंतु परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया। जब अस्पताल में ईलाज हो रहा था तब उसका बच्चा आया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि दिनांक 08.11.2011 को शाम को वह वाहन क. एमएच-31-सीएस-2392 को चला रहा था। महिला को उसने 150 फिट की दूर से देखा था। जब उसने महिला को देखा तब वह सीधी चल रही थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि महिला रोड कास कर रही थी। दुर्घटना के समय उसके द्वारा चलाये जा रहे वाहन में टूट-फूट का कोई निशान नहीं था। स्वतः कहा कि गाड़ी पहले से डेमेज थी। दुर्घटना से पहले साईड पर वाहन टकरा गया था इसलिए बांये तरफ से डेमेज था। उसने वाहन की कोई मरम्मत नहीं करायी थी और न ही रिपोर्ट की थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि वह मदद करने के उद्देश्य से नहीं रुका था, तेजी और लापरवाही से टक्कर मार दी थी इसलिए रुका था।

33 लिखीराम साहू (ब.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे चड्डा जी का फोन आया था कि जो महिला एयर फोर्स में दुकान चलाती है उसकी दुर्घटना हो गयी है, परिवार वालों को खबर कर दो। तब वह शर्मा मार्केट बोड़खी में किराये के मकान पर गया, महिला के पुत्र को खबर दी और उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठाकर सरकारी अस्पताल लाकर छोड़ दिया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि वह एयर फोर्स कैंपस के अंदर नहीं

गया था। चड़ड़ा जी ने उसे 9425002021 नंबर से फोन किया था। जिस लड़के को वह बुलाने गया था, उसका नाम, उसके पिता का नाम और घर का नंबर नहीं मालूम था। मकान पहले से मालूम था। इस सुझाव को गलत बताया है कि मृतक महिला का लड़का घर पर नहीं मिला था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्त मनोज जेठानी ने उसके पक्ष में गवाही देने के लिए कहा इसलिए वह गवाही देने के लिए आया है।

34 बचाव साक्षी मनोज जेठानी (ब.सा.-1) के कथनों से ही प्रकरण में यह स्थापित हो रहा है कि घटना के समय अभियुक्त अपने वाहन मारुति सुजुकी स्विफ्ट वाहन से एयर फोर्स स्टेशन के अंदर था। मृतक महिला के पास उसका वाहन खड़ा था। अभियुक्त बांयी दिशा की ओर गाड़ी से आ रहा था। मृतक महिला को ईलाज के लिए अभियुक्त के वाहन से ही ले जाया गया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब उसने महिला को देखा तब महिला सीधी चल रही थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि महिला रोड कास कर रही थी। बचाव साक्षी लिखीराम साहू (अ.सा.-2) ने अपने कथनों से यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि उसने मृतक महिला के पुत्र को घर पर जाकर घटना की सूचना दी थी और वह उसे सिविल अस्पताल आमला लेकर आया था। साथ ही साक्षी ने यह बताया है कि उसे चड़ड़ा जी ने फोन किया था परंतु साक्षी के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि कितने बजे चड़ड़ा जी ने उसे फोन किया। न ही अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य है जिससे यह माना जाये कि जो मोबाईल नंबर साक्षी ने बताया है उस नंबर से उसके मोबाईल पर फोन गया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने मृतक महिला के पुत्र को सिविल अस्पताल आमला लेकर आया था परंतु मृतक महिला के पुत्र ने यह बताया है कि उसे सिविल अस्पताल आमला मकान मालिक का पोता लेकर आया था।

35 इस प्रकार उपर्युक्त साक्ष्य विवेचन से प्रकरण में यह स्थापित है कि घटना दिनांक को अभियुक्त मनोज जेठानी वाहन क. एम.एच.-31-सी.एस.-2392 को चला रहा था। प्रकरण में यह भी स्थापित है कि घटना के समय अभियुक्त का वाहन बांयी ओर चल रहा था और मृतक महिला भी बांयी तरफ रास्ते के किनारे थी। प्रकरण में यह भी स्थापित है कि अभियुक्त का वाहन सामने से बांयी ओर क्षतिग्रस्त था। स्वयं अभियुक्त ने इस सुझाव को अपने प्रतिपरीक्षण में गलत बताया है कि महिला रोड कास कर रही थी। इस प्रकार अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया ही नहीं गया है कि महिला अचानक से रोड पर आ गयी थी। वाहन के बांयी ओर से क्षतिग्रस्त होने के संबंध में अभियुक्त के द्वारा यह बताया गया है कि घटना दिनांक को ही उसका वाहन साईड पर जहां काम चल रहा था, क्षतिग्रस्त हो गया था परंतु इस संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि यह माना

जावे कि अभियुक्त का वाहन घटना दिनांक को घटना के पूर्व क्षतिग्रस्त हुआ था। बचाव पक्ष के द्वारा यह बचाव लिया गया है कि महिला अचानक से बेहोश हो गयी थी जिसकी मदद अभियुक्त के द्वारा की गयी परंतु मृतक महिला सुनिता यादव को चिकित्सकीय परीक्षण में सिर के बांये तरफ, बांये हाथ पर, दांये पैर पर चोटें पायी थी। अत्यन्त अस्वाभाविक है कि यदि कोई महिला बेहोश होकर गिरे तो उसे शरीर के दोनों तरफ चोटें आयी और इतनी अत्यधिक चोटें आये कि उसकी मृत्यु कारित हो जाये। प्रकरण में यह भी स्थापित है कि सुनिता यादव की मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में मात्र यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त के द्वारा वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया गया ?

36 प्रकरण में अभियोजन अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त मनोज जेठानी के द्वारा मृतक महिला सुनीता का इलाज वायुसेना परिसर अस्पताल में ना करया जाकर परिसर से बाहर लेजाकर सिविल अस्पताल में कराया गया। जबकि बचाव अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि चूंकि घटना के समय मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई थी। अभियुक्त ने उस महिला के इलाज के हर संभव प्रयास किए तथा स्वयं एयरफोर्स के कर्मचारी/अधिकारियों ने ही उसके वाहन में महिला को लेटाया था। इसके पश्चात् वह एयरफोर्स से बाहर मौके पर उपस्थित एयरफोर्स के अधिकारी/कर्मचारी को बताकर ही ईलाज के लिए महिला को लेकर गया था। उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि अभियुक्त मनोज जेठानी के द्वारा मौके पर घायल महिला का जानबूझकर एयरफोर्स में ईलाज ना कराकर बाहर ईलाज कराया गया। ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त मनोज को एयरफोर्स से बाहर जाते समय उसे रोका गया हो और अभियुक्त ने रोके जाने के बाद भी अपनी गाडी एयरफोर्स परिसर से बाहर ले गयी हो। स्वयं विवेचक साक्षी एस.एल. साहू (अ.सा.-18) ने अपने प्रति परीक्षण में यह बताया है कि जांच के दौरान ऐसा तथ्य सामने नहीं आया था कि फरियादी एवं एयरफोर्स के कर्मचारियों ने मृतिका सुनीता को एयरफोर्स चिकित्सालय में ले जाने का प्रयास किया हो। जांच में यह तथ्य सामने आया था कि अभियुक्त ने महिला के इलाज के लिए और उसकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। शैलेश (अ.सा.-2) जो कि एयरफोर्स का कर्मचारी है उसने भी अपने प्रति परीक्षण में यह बताया कि अभियुक्त मनोज ने मृतिका को बचाने के लिए तत्काल अस्पताल लेकर गया था। साथ ही प्रकरण में इस संबंध में विचारण नहीं करना है कि अभियुक्त ने घायल महिला को टक्कर लगाने के बाद उसके इलाज में उपेक्षा बरती या नहीं प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त ने वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक महिला सुनीता को टक्कर मारी अथवा नहीं।

37 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने**



अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि घटना के समय अभियुक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चला रहा था। मात्र तेजी से वाहन को चलाया जाना उपेक्षा या उतावलेपन का सूचक नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क उचित है कि वाहन का तेज रफ्तार से चलाया जाना मात्र उपेक्षापूर्वक अथवा लापरवाही पूर्वक कृत्य नहीं है। अभियुक्त का कृत्य उपेक्षापूर्वक था अथवा नहीं इस प्रश्न की कसौटी यह है कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के क्या कर्तव्य थे तथा उनके पालन में उसने उपेक्षा अथवा लापरवाही बरती अथवा नहीं ?

38 उपेक्षापूर्ण आचरण के संबंध में न्याय दृष्टांत **Naresh Giri Vs State of M.P., (2008) 1 SCC791** अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपेक्षापूर्वक आचरण को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है :—

"Negligence in given circumstances is the failure to exercise that care which the circumstances demand. What amounts to negligence depends on facts of each particular case. It may consist in omitting to do something which ought to be done or in doing something which ought to be done either in a different manner or not at all. Where there is no duty to exercise care, negligence in the popular sense has no legal consequence. Where there is duty to exercise care, reasonable care must be taken to avoid acts or omissions which can be reasonably foreseen to be likely to cause physical injury to the persons or property. The degree of care required in particular case depends on the surrounding circumstances, and very according to the amount of risk to be encountered and to the magnitude of the prospective injury."

39 प्रकरण में साक्षी शैलेंद्र सिंह (अ.सा.—11) ने अभियुक्त के द्वारा वाहन तेज रफ्तार से चलाया जाना बताया है। उपर्युक्त साक्षी की मौके पर उपस्थिति साक्ष्य विवेचन से स्थापित हुई है। प्रकरण में साक्षी वीरपाल (अ.सा.—5) ने भी अभियुक्त के द्वारा वाहन को काफी स्पीड में होकर महिला को पीछे से टक्कर मारना बताया है तथा यह साक्षी प्रतिपरीक्षण में भी अपने मुख्य परीक्षण के कथनों पर अखंडित रहा है परंतु तत्पश्चात् साक्षी ने घटना की जानकारी न होना बताया है परंतु साक्ष्य विवेचन में यह भी पाया गया है कि उक्त साक्षी के मात्र उपर्युक्त कथन से उसकी संपूर्ण साक्ष्य को परित्यक्त नहीं किया जा सकता। साक्षी शैलेश (अ.सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे यह बताया था कि उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और अपने कथनों पर यह साक्षी पूर्णतः अखंडित रहा है। घटना स्थल एयर फोर्स स्टेशन के अंदर का मुख्य मार्ग है। यद्यपि घटना के समय अभियुक्त अपनी सही दिशा की ओर वाहन से चला आ रहा था परंतु घटना स्थल एयर फोर्स स्टेशन परिसर के अंदर का मार्ग होने के कारण उपर्युक्त स्थल पर वाहन को सीमित गति में ही चलाना होता है। घटना रात्रि के समय की है। मृतक महिला अपनी दिशा में कच्चे रास्ते पर ही चल रही थी। अभियुक्त का ऐसा बचाव नहीं है कि अचानक से महिला

मुख्य मार्ग पर उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। साथ ही ऐसी भी कोई परिस्थितियां नहीं थी कि अभियुक्त के वाहन के आगे पीछे कोई वाहन हो या वाहन में कोई यांत्रिकीय खराबी हो। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त के द्वारा सही दिशा में कच्चे रास्ते पर पैदल चल रही महिला को पीछे से वाहन तेजी से चलाकर टक्कर मारना यह प्रकट करता है कि अभियुक्त ने घटना के समय वाहन को चलाते समय उतनी सावधानी नहीं बरती, जितनी की उसे बरतनी चाहिए थी। ना ही अपने वाहन पर नियंत्रण रख पाया, जो कि चालक के नाते उसके कर्तव्यों के प्रति बरती गई उपेक्षा को प्रकट करता है।

40 मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में जहां यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ही घटना दिनांक को वाहन क्र. एम.एच.-31-सी.एस.-2392 चला रहा था तथा वाहन से महिला सुनिता यादव को टक्कर मार दी थी जिससे उसे उपहति कारित हुई और ईलाज हेतु ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी, ऐसी स्थिति में सिवाय इसके कि अभियुक्त उपेक्षा एवं अत्यन्त तेज रफ्तार से वाहन को चलाकर महिला को टक्कर मार दिया था जिससे उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी, अन्य कुछ भी उपधारणा नहीं की जा सकती। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **Mohammad Aynaddin Vs. State of A.P. 2001(1) MPWN 66(SC)** अवलोकनीय है।

### विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

41 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्र. एम.एच.-31-सी.एस.-2392 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से संचालित करते हुए मृतिका सुनिता देवी को पीछे से टक्कर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। फलतः अभियुक्त मनोज जेठानी को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 304(ए) के आरोप में दोषी पाया जाता है।

42 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

43 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धी अभिलेख पर नहीं है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतिका सुनिता को टक्कर मारकर एक्सीडेंट कारित किया जाना जिसके परिणामस्वरूप मृतिका सुनिता की मृत्यु होना प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया। साथ ही तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टांत **पंजाब राज्य वि. सौरभ बक्शी सी.आर.एल. नं. 5825 (2014)** प्रस्तुत किया है।

44 उभयपक्ष के तर्क एवं न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभियुक्त द्वारा वाहन को उपेक्षापूर्वक संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर उक्त वाहन से मृतिका सुनिता को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती, का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

45 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण की परिस्थितियों में यदि विचार किया जाये तो अभियुक्त के द्वारा तुरंत आहत को अपनी गाड़ी पर बैठाकर उसके ईलाज के हर संभव प्रयास किये गये हैं तथा अभियुक्त लगभग पांच वर्षों से विचारण का सामना कर रहा है। विचारण में अभियुक्त के द्वारा निरंतर सहयोग किया गया है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं धारा 279 भा.दं.सं. का अपराध धारा 71 भा.दं.सं. के प्रावधानों के अर्थों में धारा 304(ए) के अपराध में समाहित है इसे दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 279 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडादिष्ट न करते हुए अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ए) के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500/- रु. जुर्माना से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

46 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्त को उप जेल मुलताई भेजा

जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

47 प्रकरण में जप्तशुदा मारुती कार स्विफ्ट क्र. एमएच-31-सीएस-2392 आवेदक/सुपुर्ददार दीपक पिता अनन्तराम निवासी बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

48 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)